न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस/एलआर/2749/2005/सीकर

1 सरकार जरिये तहसीलदार, नीमकाथाना

प्रार्थी

बनाम

1 गंगाराम पुत्र खेताराम
2 हणमान पुत्र खेताराम
3 श्रीनारायण पुत्र खेताराम
4 सुरजी बेवा खेताराम (मृतक) जरिये वारिसान अप्रार्थीसं.1से3 एवं
4/1 हरदेई पुत्री सुरजी
4/2 भागोती पुत्री सुरजी समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
5 मंदिर श्री रघुनाथजी स्थित वाके गांव गांवडी जरिये पुजारी रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 16 नीमकाथाना

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका उप राजकीय अभिभाषक
श्री घनश्यामसिंह लखावत वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2
श्री अजीतसिंह वकील अप्रार्थी संख्या 3
श्री सोहनपालसिंह वकील एवं
श्री यज्ञदत्त शर्मा वकील अप्रार्थी सं.5

निर्णय

दिनांकः.5.10.18

यह रेफरेन्स धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 6/2003 में की गई अनुशंषा दिनांक 13.4.2005 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, नीमकाथाना ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गावंडी तहसील नीमकाथाना स्थित आराजी खसरा नम्बर 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994 कुल भूमि 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि

मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी वाके ग्राम गांवडी की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि गलत तरीके से मन्दिर मूर्ति के नाम से हटाकर अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर दी। अतः रेफरेन्स किया जावे। अधीनस्थ न्यायलय ने बाद कार्यवाही अपनी अनुशंषा दिनांक 13.4.2005 से यह रेफरेन्स इस न्यायालय को प्रेषित किया है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि सम्वत 2008 से 2027 की जमाबन्दी में मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी की खातेदारी में दर्ज है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है जिसकी भूमि पर काश्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। विवादित भूमि अनुचित एवं निराधार रूप से मूर्ति मन्दिर के नाम से हटाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज की गई है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण अप्रार्थी संख्या 5 ने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी संख्या 2 मन्दिर का पुजारी है तथा विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि रही है जिस पर अप्रार्थीगण को गलत रूप से खातेदार दर्ज किया गया है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक श्री घनश्यामसिंह लखावत ने अप्रार्थीग की ओर से बहस करते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति श्री रघुनाथजी की माफी की भूमि थी तथा अप्रार्थीगण काश्तकार के रूप में काबिज काश्त थे। विवादित भूमि कभी भी मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम प्रभाव में आने पर माफीदार/जागीरदार की जागीर अधिग्रहित हो गई एवं काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये। अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार होने से विधि अनुरूप खातेदार दर्ज किये गये हैं। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 2000 पेज 14, आर.बी.जे. 2015 पेज 486 एवं आर.बी.जे. 1996 पेज 535 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक श्री अजीतसिंह ने विद्वान अभिभाषक श्री लखावत की बहस का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को सही रूप से देखा ही नहीं है तथा मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिये बिना निर्णय पारित किया है। राज्य सरकार के एतद्निमित परिपत्र सन् 2007 तथा 2010 अनुसार तथा माननीय मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनेक निर्णायज विधि अनुसार भूमि काश्तकार के नाम सही दर्ज हुई है। सुरजी का देहान्त दिनांक 24.1.05 को हो गया था तथा अतिरिक्त कलक्टर ने संस्तूति दिनांक 13.4.05 को की है तथा रेफरेन्स दिनांक 6.6.05 को पेश किया जो मृत व्यक्ति के विरूद्व संस्तुती होने तथा रेफरेंस पेश होने से पूर्व होने से इस कारण खारिज किये जाने योग्य है। किन्तु

इसकी अपेक्षा गुणावगुण पर अर्थात हमारे नाम काश्तकार के कालम में होने से सुरजी यदि जिवित होती तो भी निर्णय हमारे ही पक्ष में होता। सुरजी के कायम मुकाम पहले से ही रेकर्ड पर है जो अप्रार्थीगण हैं। जिससे आलौच्य निर्णय विधि विरूद्व है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

रेफरेन्स के साथ तहसीलदार, नीमकाथाना की ओर से प्रस्तुत खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 की फोटोप्रति के अवलोकन से यह प्रकट है कि इसके कालम संख्या 3 नाम भोक्ता के कालम में माफी मन्दिर रघुनाथजी पुजारी मालीराम वल्द महादेव कौम ब्राहमण सा0 देह दर्ज है तथा कालम संख्या 4 नाम कृषक के कालम में चन्दरा वल्द परसा कौम माली सा0 देह मु0 3 साल अंकित है। फोटोप्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2017, 2019 आदि में भी उक्तानुसार ही अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2058 में विवादित भूमि गंगाराम हणमान, श्रीनारायण पिता खेताराम, मुं0 सुरजी बेवा खेताराम के खातेदारी में दर्ज है।

राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति श्री रघुनाथजी की माफी की भूमि रही है तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम प्रभाव में आने पर पर इसके प्रावधानों के अनुसार जागीरदार की जागीर अधिग्रहित हो गई एवं काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2000 पेज 14, आर.बी.जे. 2015 पेज 486 एवं आर.बी.जे. 1996 पेज 535 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त से हमारे उक्त मत को बल मिलता है। पत्रावली पर ऐसा कोई राजस्व अभिलेख जमाबन्दी आदि उपलब्ध नहीं है जिससे विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति श्री रघुनाथजी की खुदकाश्त होना साबित होता हो।

ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से हम इस रेफरेन्स में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह रेफरेन्स खारिज किया जाता हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य